संख्या–170 /XXX(2)/2017

प्रेषक,

राधा रतूड़ी
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

2– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

3– समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी
उत्तराखण्ड।

4– समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 6 जून मई, 2017

विषयः–समूह 'ग' के पदों हेतु सेवायोजन कार्यालय में अनिवार्य पंजीकरण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के पदों पर भर्ती के लिए अनिवार्य/वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010 के नियम–4 में निम्न प्राविधान किया गया है :–

नियम–4–लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' की सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसका नाम उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय पंजीकृत होगा।

परन्तु यह कि जिन पूर्व सैनिकों द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के किसी जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में पंजीकरण कराया गया है, उन्हें पुनः सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय द्वारा सम्बन्धित पूर्व सैनिकों को निर्गत पंजीकरण सम्बन्धी प्रमाण–पत्र को सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण के समतुल्य माना जायेगा।

2– उपर्युक्त नियमावली भारत का संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके प्रख्यापित की गयी है। नियमावली के नियम–2 में यह भी प्राविधान किया गया है कि "किसी अन्य सेवा नियमावली के नियम या आदेश में निहित किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी इस नियमावली के उपबन्ध प्रभावी होंगे" अर्थात् उक्त नियमावली का अध्यारोही प्रभाव सभी सेवानियमावलियों तथा आदेशों पर होगा।

3– शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि कतिपय विभागों द्वारा समूह 'ग' के पदों पर भर्ती के संबंध में उपर्युक्त नियमावली के अनुसार भर्ती के लिए पंजीकरण को हटाये

क्रमशः 2

जाने के लिए समूह 'ग' के पदों को राजपत्रित घोषित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है, जो कि उचित नहीं है। इस प्रकार की कार्यवाही को शासन द्वारा गंभीरता से लिया जायेगा। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के पदों पर भर्ती हेतु नियमावली, 2010 का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

संख्या— / XXX(2)/2017/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि सचिव, लोक सेवा आयोग, हरिद्वार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या/77 /XXX(2)/2017

प्रेषक,

सुनीलश्री पांथरी
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. सचिव
लोक सेवा आयोग
हरिद्वार।

2. सचिव
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
देहरादून।

कार्मिक अनुभाग–2 **देहरादूनः दिनांक 2 जून, 2017**

विषयः– **परीक्षाओं के पारदर्शी आयोजन के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक दृष्टि पत्र–2017 की संलग्न छायाप्रति का अवलोकन करने का कष्ट करें। उक्त दृष्टि पत्र के शीर्षक "युवा पकड़ेगें रफ्तार" में यह उल्लेख किया गया है कि "राज्याधीन आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी बनाया जायेगा। इसके लिये सुस्पष्ट तंत्र विकसित किया जायेगा तथा नियुक्तियों में पारदर्शिता के लिये शैक्षिक अर्हताओं व कार्यक्षेत्र का विज्ञप्ति में स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा"।

2– अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में पारदर्शिता रखे जाने एवं इसके लिए तकनीकी रूप से सुस्पष्ट तंत्र विकसित किये जाने हेतु औचित्यपूर्ण सुझाव अविलम्ब शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(सुनीलश्री पांथरी)
अपर सचिव।